<u>न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंच, जनपद जालौन</u>

मु० सं०–511/2020

सरकार बनाम पुरूषोत्तम आदि।

मु०अ०सं०–163/19

धारा–352,504,506,भा०दं०सं०

थाना–कैलिया, जिला जालौन।

आरोप

मैं तुषार जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच, आप **अभियुक्तगण पुरूषोत्तम, किशुनलाल व उदयवीर** को एतद्वावारा निम्न आरोपो से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 18.11.2019, समय 11:00 बजे रात, स्थान बहद ग्राम लाडूपुरा, थाना कैलिया जिला जालौन में आप लोगों वादी मुकदमा पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आपने भा०दं०सं० की **धारा–352** के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा व उसके नाती अमित कुमार को अपमानित करने के उद्देश्य से गालियां दी, जिससे कि वे उत्तेजित होकर लोकशांति भंग करने पर आमादा हो जाये। इस प्रकार आप लोगों ने भा०दं०सं० की **धारा–504** के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उक्त दिनांक को उक्त समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा व उसके नाती अमित कुमार को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आप लोगों ने भा०दं०सं० की **धारा–506** के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

एद्व द्वारा में आप लोगों को निर्देश देता हूं कि उक्त आरोपों में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 16.08.2022 **(तुषार जायसवाल)**

न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोंच, जनपद जालौन।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार किया और परीक्षण चाहा।

दिनांक 16.08.2022 **(तुषार जासवाल)**

न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोंच, जनपद जालौन।